

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- एफ.26(4)( ) ईसीई/आईसीडीएस/2015/123869-901 जयपुर, दिनांक 22-09-16  
उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।


विषय:- दिनांक 23.09.2016 को 3.00 - 4.00 पीएम तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षण सामग्री पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दो दिवसीय (Hands-on Training) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के सन्दर्भ में विडियों कॉन्फेसिंग के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिले की परियोजनाओं के चयनित आदर्श ईसीई (ECE) सेक्टरों में आंगनबाड़ी पाठशाला पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में निदेशालय के विडियों कॉन्फेसिंग सेन्टर, जयपुर से दिनांक 23.09.2016 को 3.00-4.00 पीएम के मध्य विडियों कॉन्फेसिंग आयोजित की जाएगी।

इस विडियों कॉन्फेसिंग का एजेण्डा निम्नानुसार होगा :-

समय	प्रतिभागी	एजेण्डा बिन्दु	सूचना प्रपत्र
23.09.2016 को 3.00-4.00 पीएम तक	1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त। 2. जिले के ईसीई (ECE) सामग्री प्रशिक्षण प्रभारी सीडीपीओ। 3. चयनित आदर्श सेक्टरों हेतु दिनांक 07.09.2016 के राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला में सम्मिलित पर्यवेक्षक 4. AWTC/MLTC के उक्त कार्यशाला में आमुखीकृत किए गए अनुदेशक	आदर्श ईसीई सेक्टरों में आंगनबाड़ी पाठशाला पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु चर्चा के बिन्दु- 1. तत्संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश 2. जिले के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रपत्र 3. दो दिवसीय प्रशिक्षण की प्रस्तावित योजना। 4. प्रशिक्षण सत्र 5. प्रशिक्षण सत्रों में प्रयुक्त माध्यम 6. प्रशिक्षण संबंधी बजट 7. AWTC/MLTC की पायलेट प्रोजेक्ट के दौरान भूमिका	सूचना प्रपत्र दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न जिले का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रपत्र।


अतः आप पत्र में वर्णित सभी संभागीयों के साथ प्रशिक्षण प्रपत्र की सूचना के साथ जिला मुख्यालय स्थित DoIT के विडियों कॉन्फेन्स कक्ष में दिनांक 23.09.2016 को यथा समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
(बिन्दु करुणाकर)

अतिरिक्त निदेशक (आई)/  
प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)

क्रमांक:- एफ.26(4)( ) ईसीई/आईसीडीएस/2015/123902-938 जयपुर, दिनांक 22-9-16  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर।
3. ईसीसीई प्रभारी अधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(बिन्दु करुणाकर)

अतिरिक्त निदेशक (आई)/  
प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)